



2026:AHC-LKO:8217-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 184 सन 2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव ग्रामीण इंजीनियरिंग
विभाग लखनऊ एवं 2 अन्य

..... आवेदक(ओं)

बनाम

राधे श्याम पांडे एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2025 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

- हमने श्री अनुज कुदेसिया, अपर महाधिवक्ता को श्री प्रफुल्ल कुमार यादव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की सहायता से सुना।
- विशेष अपील संख्या 77/2005; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राधे श्याम पांडे और अन्य में दिनांक 23.01.2023 को पारित निर्णय और आदेश के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण आवेदन दायर करने में 926 दिनों के विलंब के अलावा, जिसमें राज्य के स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर राज्य की विशेष अपील को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया गया था, पुनरीक्षण आवेदन में उठाए गए मुद्दे पुनरीक्षण के आधार के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। यदि ऐसा करना भी हो, तो उक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया जा सकता था क्योंकि न्यायालय की ओर से कोई त्रुटि नहीं है।
- उपरोक्त के मद्देनजर, विलंब माफी आवेदन और पुनरीक्षण आवेदन का **निस्तारण** तदनुसार उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 3, 2026

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।